न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/01/2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सन्तोष मीना निवासी–9/743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि 07.02.2020

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.02.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 06.11.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 58/2 रकबा 14 बिस्वा/0.17 हैक्टैयर, ग्राम–सैमला, तह. लक्ष्मणगढ पर से प्रत्यर्थी विभाग के पूर्व पत्रांकः 4659 दिनांकः 26.07.2019 व 5040–43 दिनांकः 09.08.19 के बावजूद अतिक्रमण ना हटवाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 1()114राज–6/15/11 जयपुर, दिनांकः 11.09.2017 के आलोक में शिकायत प्रस्तुत कर 07 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 06.11.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने/प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना से असहमत रहने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.01.2020 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः आर.टी.आई./2020/491–92 दिनांकः 12.2.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं आई।

P.T.O.

8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।

9. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांकः 06.11.2019 पर पत्रांकः आर.टी.आई./2019/140 दिनांकः 15.01.2020 के माध्यम से उनके अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित स्थिति अनुसार बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। परिपत्रों को आधार बनाकर सूचना जारी किया जाना उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत कवर नहीं होता है एवं अतिक्रमण संबंधी कार्यवाहियाँ भी उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। इस हेतु प्रथक से उपलब्ध मंच/शिकायत फोरम के समक्ष अपीलार्थी वाद/परिवाद दायर कर सकता है।

10. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है। प्रथम अपील खारिज कर अस्वीकार की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)